[2018] 3 एस.सी.आर. 633

शिवकामी और अन्य।

बनाम

तमिलनाडु राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2749-2750 वर्ष 2018)

मार्च 12, 2018

[आर. के. अग्रवाल व अभय मनोहर सापरे, माननीय न्यायमूर्तिगण]

निर्णय/आदेश:

गैर-तर्कपूर्ण आदेश - भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने वाली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका का निर्धारण, जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की गई थी - उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने रिट अपील में एकल न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आदेश गैर-तर्कसंगत था - पुनर्विलोकन याचिका निरस्त कर दी गई - अपील पर: खण्ड पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को गैर-तर्कसंगत मानते हुए सही ढंग से निरस्त कर दिया। लेकिन खण्डपीठ अपील पर निर्णय करते समय सभी मुद्दों पर अपना तर्क देने में भी विफल रही - खण्डपीठ के लिए रिट न्यायालय के आदेश को पलटते समय पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी आधारों से निपटना और कारण बताकर अपने स्वयं के निष्कर्षों को लेखबद्ध करना आवश्यक था - मामला उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ को भेजा गया - भूमि अधिग्रहण।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश XLVII नियम 1 - पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार - सीमा विस्तार- अपीलीय क्षेत्राधिकार से भिन्नता- पुनर्विलोकन की शक्ति बहुत सीमित है - इसका निस्तारण अंतर-न्यायालय अपील की तरह नहीं किया जा सकता है, जिसका सीमा विस्तार बहुत व्यापक है, जिसमें पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच के लिए खुले हैं।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

निर्धारित किया: 1. रिट अपील में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सही कहा है कि एकल न्यायाधीश ने न तो किसी मुद्दे पर चर्चा की और न ही अपना तर्क दिया और न ही अपने मामले के समर्थन में पक्षकारों द्वारा उठाए गए किसी भी आधार पर विचार किया और फिर भी रिट याचिका स्वीकार करते हुए अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया, मामले में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे से निपटने में गलती की। [पैरा 14]

2. खण्ड पीठ को या तो पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करना चाहिए था और अपील पर निर्णय करते समय ऐसे सभी मुद्दों पर अपना तर्क देना चाहिए था या अपीलकर्ताओं की रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को रिट न्यायालय (एकल न्यायाधीश) को भेजना चाहिए था और पक्षकारों द्वारा अपने संबंधित तर्कों के समर्थन में उठाए गए सभी आधारों से निपटने के लिए एक तर्कसंगत आदेश पारित करना चाहिए था। [पैरा 15]

3. खण्ड पीठ के लिए यह आवश्यक था कि वह रिट न्यायालय के आदेश को पलटते समय पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी आधारों से निपटे और निष्कर्ष के समर्थन में कारण बताकर अपने स्वयं के निष्कर्षों को लेखबद्ध करे। तथापि, ऐसा नहीं किया गया। [पैरा 17]

4. अपील पर निर्णय करते समय खण्ड पीठ को क्या करना आवश्यक था, यह खण्ड पीठ द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पर निर्णय करते समय किया गया था। पुनर्विलोकन आवेदन में आदेश 10 पृष्ठों का है जबकि अपील में आदेश 6 पृष्ठों का है। अपील और पुनर्विचार आवेदन पर निर्णय लेते समय खण्डपीठ के इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपीलीय शक्तियों और पुनर्विलोकन शक्तियों का दायरा अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की शक्ति बहुत सीमित है और इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब पत्रवाली के ऊपर कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट हो। पुनर्विलोकन की शक्ति को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। पुनर्विचार याचिका/आवेदन पर नियमित अंतर न्यायालय अपील की तरह निर्णय नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, अपील का दायरा बहुत व्यापक है जिसमें पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच के लिए खुले हैं। खण्ड पीठ द्वारा अपील में जो तय नहीं किया गया था, वह पुनर्विलोकन आवेदन पर निर्णय करते समय खण्ड पीठ द्वारा तय नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि पुनर्विलोकन आदेश को भी रद्द किया जाता है। [पैरा 19, 20 और 21]

5. इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, यानी (रिट न्यायालय और खण्ड पीठ) विधि की दृष्टि में दूषित हैं और पक्षकारों द्वारा अपने संबंधित तर्कों के समर्थन में उठाए गए किसी भी आधार/ मुद्दे पर किसी भी कारण, चर्चा और खोज के अभाव में विधिक रूप से स्थिर नहीं रह सकते हैं। चूंकि यह मामला पिछले तीन दशकों से लंबित है, इसलिए मामले (रिट याचिका) को रिट न्यायालय को सौंपने के बजाय कानून के अनुसार, गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए खण्ड पीठ को सौंपना न्यायसंगत और उचित है। [पैरा 22 और 23]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2749-2750 वर्ष 2018।

पुनर्विलोकन आवेदन संख्या 77 वर्ष 2012 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 13.03.2013 के निर्णय और आदेश से

ए. मरियारपुथम, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अरुणा माथुर, पी. मलाईचामी, अवनीश अरपुथम (मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी के लिए), अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण।

सुब्रमण्यम प्रसाद, थॉमस पी। जोसेफ, सीनियर। अधिवक्ता।, बी। विनोद कन्न, एम। योगेश कन्न, सुश्री सुजाता बागड़ी, पीवी योगेश्वरन, आशीष कुमार उपाध्याय, भुवन जयंत, बी। बालाजी, केवी विजयकुमार, सुश्री मैत्रेयी मिश्रा, अधिवक्तागण, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सापरे द्वारा सुनाया गया था,

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इन अपीलों को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2012 के पुनर्विलोकन आवेदन संख्या 77 में 2011 के डब्ल्यूए संख्या 868 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित किया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपीलकर्ताओं द्वारा योजित पुनर्विलोकन आवेदन को अपोषणीयता के आधार पर और मामले के गुणदोष के आधार पर निरस्त कर दिया था और दिनांक 06.01.1997 को उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा डब्ल्यूए सं. 868 वर्ष

2001 में पारित आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनाँक 06.01.1997 को निरस्त कर दिया गया था जो की यहां अपीलकर्ताओं के पक्ष में था।

3. इन अपीलों में एक संक्षिप्त बिंदु शामिल है। अपील में शामिल बिंदुओं का मूल्यांकन करने के लिए कुछ तथ्यों के बुनियादी ढांचे का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

4. यहां अपीलकर्ता रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता हैं, जिनमें से ये अपीलें उत्पन्न होती हैं।

5. अपीलकर्ताओं ने कोयंबटूर तालुक के गणपति गांव में स्थित सर्वेक्षण संख्या 142/1ए में लगभग 1.52 एकड़ भूमि के मालिक होने का दावा किया है।

6. विचाराधीन भूमि तमिलनाडु राज्य के अनुरोध पर वर्ष 1985 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही का विषय थी, जिसने इसके अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 4 और 6 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी की थीं। अपीलकर्ताओं ने अपनी भूमि के अधिग्रहण से व्यथित महसूस करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 5220 वर्ष 1987 योजित की और उसमें शासनादेश संख्या एमएस 1119, समाज कल्याण विभाग दिनांकित 15.05.1985 और शासनादेश संख्या एमएस 1536, समाज कल्याण विभाग दिनांकित 15.05.1985 सहित पूरी अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया।

7. अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती कई आधारों पर दि गयी थी जैसा कि रिट याचिका और एसएलपी में अपीलकर्ताओं (रिट याचिकाकर्ताओं) द्वारा लिए गए आधारों से स्पष्ट है।

8. राज्य द्वारा रिट याचिका का विरोध किया गया था जिसमें उसने अधिग्रहण कार्यवाही को वैधानिक, उचित और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बताते हुए बचाव किया था।

9. एकल न्यायाधीश ने दिनांक 06.01.1997 के आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं की रिट याचिका को अनुमति दी और दिनांक 15.05.1985 के शासनादेश संख्या एमएस 1119 और दिनांक 18.06.1986 के शासनादेश संख्या एमएस 1536 को रद्द कर दिया।

10. राज्य ने व्यथित महसूस किया और खण्ड पीठ के समक्ष अंतर न्यायालय अपील योजित की, जिसमें से ये अपीलें उत्पन्न होती हैं। आक्षेपित आदेश द्वारा, खण्ड पीठ ने राज्य की अपील को स्वीकार कर लिया और एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ताओं की रिट याचिका को निरस्त कर दिया। दूसरे शब्दों में, अधिग्रहण की कार्यवाही को खण्ड पीठ द्वारा वैधानिक और उचित के रूप में स्थिर रखा गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा पुनर्विचार याचिका योजित की गई थी लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया था। यह खण्ड पीठ के इन दो आदेशों के विरुद्ध है, रिट याचिकाकर्ताओं ने व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से ये अपील योजित की।

11. अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए मरियारपुथम और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री थॉमस पी जोसेफ, प्रतिवादियों के अधिवक्ता श्री बी बालाजी और श्री केवी विजय कुमार को सुना।

12. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और मामले के पत्रवलियों के अवलोकन पर, हम अपीलों को स्वीकृत करने के इच्छुक हैं और आक्षेपित आदेशों को रद्द करते हुए,

अपीलकर्ताओं द्वारा योजित रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को खण्डपीठ को सौंपते हैं।

13. हमारी सुविचारित राय में, मामले को खण्ड पीठ को सौंपने के कारण एक से अधिक हैं, जो नीचे दिए गए हैं।

14. सबसे पहले, खण्ड पीठ ने 2001 के डब्ल्यूए नंबर 868 में अपने 02.09.2008 के मुख्य आदेश के पैरा 4 और 5 में सही कहा कि एकल न्यायाधीश ने न तो किसी मुद्दे पर चर्चा की और न ही अपना तर्क दिया और न ही अपने मामले के समर्थन में पक्षकारों द्वारा उठाए गए किसी भी आधार पर विचार किया और फिर भी रिट याचिका की अनुमति दी और किसी भी मुद्दे से निपटने में गलती करने वाली अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया। इस मामले में, नीचे दिए गए पैरा 4 और 5 को पुन: पेश करना उचित है:

> **"4, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से, यह स्पष्ट होगा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ताओं (इस रिट अपील में प्रतिवादी 1 से 4) से संबंधित मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर चर्चा किए बिना और 1994 में रिट एलआर 764 (सीतालक्ष्मी / रामकृष्णन बनाम विशेष तहसीलदार (एलए) II में रिपोर्ट किए गए फैसले में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित कानून के प्रासंगिक प्रस्ताव का विश्लेषण किए बिना, और इस प्रश्न पर विचार किए बिना कि क्या रिट याचिकाकर्ताओं का मामला 1994 के रिट एलआर 764 (उक्त) में रिपोर्ट किए गए मामले के समान था, संबंधित पक्षों की ओर से उपास्थित हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई प्रस्तुति के आधार पर केवल रिट याचिका स्वीकार कर लि गई।**
>
> **5. तथ्यों और परिस्थितियों में, जैसा कि अपीलकर्ता-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को तर्कसंगत आदेश नहीं माना जा सकता है, गलत और विधि की दृष्टि में स्थिर रहने योग्य नहीं माना जा सकता है। तदनुसार, हम एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हैं।"**

15. दूसरा, उपर्युक्त निष्कर्षों के आलोक में, खण्डपीठ को या तो पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करना चाहिए था और अपील पर निर्णय लेते समय ऐसे सभी मुद्दों पर अपना तर्क देना चाहिए था या अपीलकर्ताओं की रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को रिट न्यायालय (एकल न्यायाधीश) को भेजना चाहिए था और पक्षकारों द्वारा उनके संबंधित विवादों के समर्थन में उठाए गए सभी आधारों से संबंधित एक तर्कसंगत आदेश पारित करना चाहिए था।

16. हालांकि, खण्ड पीठ ने राज्य की अपील को स्वीकार कर लिया और परिणामस्वरूप, रिट याचिका को निरस्त कर दिया और अधिग्रहण की कार्यवाही को विधिक और उचित मानते हुए स्थिर रखा और वह भी इसके समर्थन में कोई कारण बताए बिना।

17. तीसरा, खण्ड पीठ के लिए यह आवश्यक था कि वह रिट न्यायालय के आदेश को पलटते समय पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी आधारों से निपटे और निष्कर्ष के समर्थन में कारण बताकर अपने स्वयं के निष्कर्षों को लेखबद्ध करे। तथापि, ऐसा नहीं किया गया।

18. हमारी सुविचारित राय में, यह एक ऐसा मामला प्रतीत होता है जहां एकल न्यायाधीश (रिट न्यायालय) ने बिना कोई कारण बताए और पक्षकारों द्वारा उठाए गए किसी भी

आधार पर विचार किए बिना अपीलकर्ताओं की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, सिवाय रिट याचिका की अनुमति देने के लिए एक निर्णय पर भरोसा करने के, जबकि खण्ड पीठ ने रिट याचिका में पक्षकारों द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे से निपटे बिना और बिना कोई कारण बटाए कि रिट याचिका क्यों निरस्त किए जाने योग्य है, राज्य की अपील को स्वीकार किया।

19. हमारे विचार में, अपील पर निर्णय लेते समय खण्ड पीठ को जो करने की आवश्यकता थी, वह पुनर्विलोकन आवेदन पर निर्णय लेते समय खण्ड पीठ द्वारा किया गया था। हम पाते हैं कि पुनर्विलोकन आवेदन में आदेश 10 पृष्ठों में है जबकि अपील में आदेश 6 पृष्ठों में है। हम अपील और पुनर्विचार याचिका पर निर्णय लेते समय खण्डपीठ के इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकते।

20. अपीलीय शक्तियों का विस्तार और पुनर्विलोकन शक्तियां अच्छी तरह से परिभाषित हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की शक्ति बहुत सीमित है और इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब पत्रवाली के ऊपर कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट हो। पुनर्विलोकन की शक्ति को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। पुनर्विचार याचिका/आवेदन पर नियमित अंतर न्यायालय अपील की तरह निर्णय नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, अपील का विस्तार बहुत व्यापक है जिसमें पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच के लिए खुले हैं।

21. इसके विपरीत, खण्डपीठ द्वारा अपील में जो निर्णय नहीं लिया गया था, उसे पुनर्विलोकन आवेदन पर निर्णय लेते समय खण्डपीठ द्वारा तय नहीं किया जा सकता था। यही कारण है कि हम पुनर्विलोकन आदेश को रद्द करने के लिए भी विवश हैं।

22. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अर्थात (रिट न्यायालय और खण्ड पीठ) विधिक रूप से दूषित हैं और किसी भी कारण, चर्चा और पक्षकारों द्वारा अपने संबंधित तर्कों के समर्थन में उठाए गए किसी भी आधार / मुद्दे पर खोज के अभाव में कानूनी रूप से स्थिर नहीं रह सकते हैं।

23. चूंकि यह मामला पिछले तीन दशकों से लंबित है, इसलिए हम मामले (रिट याचिका) को रिट न्यायालय को सौंपने के बजाय विधि के अनुरूप गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय के लिए खण्ड पीठ को सौंपना न्यायसंगत और उचित मानते हैं।

24. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और तदनुसार स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेशों को निरस्त किया जाता है और रिट याचिका को विधि के अनुरूप गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए खण्डपीठ के पास भेजा जाता है।

25. हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि मामले को खण्ड पीठ को सौंपने के लिए एक राय बनाने के बाद, हमने विवाद के गुण-दोष पर अपना मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय (खण्ड पीठ) से अनुरोध करते हैं कि वह हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना छह महीने के भीतर विधि के अनुरूप रिट याचिका पर निर्णय करे।

अपील स्वीकृत।

अनुवादकर्ता
मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय